

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 4(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./2006 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

परिपत्र

१९ APR 2018

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषय:-विभिन्न संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित³
डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता संबंधी प्रावधान समाहित किया हुआ है। किसी भी
पद/संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व अन्तरिम/अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित
करना आवश्यक है।

चूंकि अब नया वित्तीय वर्ष 2018-19 एक अप्रैल से प्रारम्भ हो चुका है। अतः
समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्त प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि एक अप्रैल
की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां अंतिशीघ्र तैयार कर जारी करें, ताकि वर्ष
2018-19 की विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की जाकर
पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

3
(भारत के एसावन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव